न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 82/2017 ::

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
ढगलूराम पुत्र कानाराम जाति माली निवासी रास प्रथम, तहसील जैतारण, जिला पाली		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी, जैतारण।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री खीमाराम

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 23.10.2017

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार, जैतारण के न्यायालय के प्रकरण संख्या 267/2016 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बअनवान सरकार बनाम ढगलूराम आदेश दिनांक 04.10.2016 के विरुद्ध पेश की गई है। अपील म्याद बाहर होने से अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन व अपीलाधीन रेकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के विरूद्ध ग्राम रास, पटवार हल्का रास तहसील जैतारण में सम्वत् 2073 के हाल खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु. ठरड़ा पर पत्थर डालकर कब्जा दर्शाते हुए पटवार हल्का ने टिपी पेश की एवं तहसीलदार जैतारण ने प्रकरण संख्या 267/2016 दर्ज कर नोटिस जारी किया एवं उक्त नोटिस पर चस्पा की रिपोर्ट है। उसके बावजूद अपीलाण्ट तारीख पेशी दिनांक 04.10.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं उसने मौखिक रूप से जाहिर किया कि उसका किसी प्रकार की राजकीय भूमि पर ग्राम रास में कब्जा नहीं है तथा इसकी जांच करवाई जाकर मेरे विरुद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न जांच करवाई न उसे सुनवाई का मौका दिया गया न ही उसके द्वारा जो निवेदन किया उसे रेकर्ड पर लिया गया एवं उसी दिवस दिनांक 04.10.2016 को निर्णय पारित कर 50/– रू. के अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए अतिक्रमित आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश पारित करते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित भी कर दिया। जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट का उपरोक्त आराजी पर न पूर्व में कब्जा था न इस वर्ष किया गया है न ही पूर्व में उसे भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। इसलिए अपीलाण्ट कभी भी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं रहा न ही पत्रावली में पूर्व में उक्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने बाबत रिपोर्ट संलग्न है। प्रार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 04.10.2016 को नहीं दी गई मात्र आदेशिका में हस्ताक्षर करवाए गए। जब पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। उसी दिवस दिनांक 27.10.2016 को निर्णय की जानकारी हुई तथा बाद में वकील से मिलकर नकलें आदि प्राप्त कर अपील की। अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर अपीलाधीन आदेश को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निरस्त फरमावे।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमश..........2

सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा पटवार हल्का रास तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु.ठरड़ा की भूमि पर संवत् 2073 में पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर टी.पी. पेश की गई एवं अपीलाण्टगण को अतिक्रमण करने बाबत नोटिस दिया गया एवं अपीलाण्ट तारीख पेशी दिनांक 04.10.2016 को उपस्थित हुआ एवं किसी प्रकार का अतिक्रमीत भूमि के संबंध में साक्ष्य सबूत पेश नहीं किए जिससे यह सिद्ध होता है कि वह उसके हक–हकूक की भूमि है। इसलिए अधीनस्थ न्यायायल द्वारा सबूत एवं साक्ष्य के अभाव में जो निर्णय किया गया है जो विधि सम्मत आदेश है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलाण्ट के कथन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल कारावास का कठोर दण्डादेश अपीलाण्ट के विरूद्ध पारित किया गया है। जिससे पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का समूचित अवसर दिया जाना चाहिए था। न्याय की दृष्टि से अपील अपीलाण्ट की प्रार्थना पर गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अपील को अन्दर म्याद माना जाता है। अपीलाण्ट द्वारा ग्राम रास के खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु. ठरड़ा की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने से पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत टी.पी. रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील कार्यवाही की गई है। अपीलाण्ट को जैर अपील आराजी से बेदखल करने हेतु प्रकरण दर्ज कर नोटिस बाबत पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने दिया गया। अपीलाण्टग मातहत अदालत में उपस्थित हुआ जो आदेशिका में अपीलाण्ट के हस्ताक्षर से स्पष्ट है। पत्रावली में पूर्व में अपीालण्ट को भौतिक रूप से बेदखल किया गया इस बाबत कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं है। सिविल कारावास की सजा देने से पूर्व समूचित सुनवाई का अवसर, साक्ष्य सबूत का अवसर दिया जाना आवश्यक है तथा अतिक्रमित आराजी से अपीलाण्ट को अगर भौतिक रूप से बेदखल किया गया है तो उस रिपोर्ट की प्रति पत्रावली पर बतौर सबूत होना आवश्यक है। जिसका नितान्त अभाव है। अपीलाण्ट द्वारा इस न्यायालय में यह भी निवेदन किया की उसका जैर अपील आराजी पर न कब्जा है न था। आज भी वह अपना शपथ पत्र देने के लिए रजामंद है।

परिणामस्वरुप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार, जैतारण के न्यायालय के प्रकरण संख्या 267/2016 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बअनवान सरकार बनाम ढगलूराम में पारित आदेश दिनांक 04.10.2016 में दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर अपास्त किया जाता है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत एक शपथ पत्र पेश करेगा एवं तहसीलदार जैतारण जांच करवाकर यह सुनिश्चित करें कि अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। शेष बेदखली एवं जुर्माना के आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर
पाली (राज.)